राजस्व वाद संख्याः–68 / 2020
हीरासिंह वगै0 बनाम पारस कुमार वगै0
निर्णय दिनांकः– 25.04.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः–

श्रीमती सुमन देवी ।।(आर.ए.एस.)

मु0नं0 68 / 2020

1. हीरासिंह पुत्र श्री स्व० नथूराम, जाति जाट, निवासी रायला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०
2. जयपाल पुत्र श्री स्व० नथूराम, जाति जाट, निवासी रायला, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू–राज०
3. रामकोर पत्नि श्री स्व० नथूराम, जाति जाट, निवासी रायला, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू–राज०
4. सुग्रीव पुत्र श्री स्व० नथुराम, जाति जाट, निवासी रायला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०
5. सुरेन्द्र पुत्र श्री स्व० नथूराम जाति जाट, निवासी रायला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०
6. राकेश धतरवाल, पुत्र श्री स्व० रामकरण, जाति जाट, निवासी रायला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०
7. विनोद, पुत्र श्री स्व० रामकरण, जाति जाट, निवासी रायला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०
8. सन्तोष देवी, पत्नी श्री स्व० रामकरण, जाति जाट, निवासी रायला, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू–राज०

वादीगण

बनाम

1. पारस कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी रायला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०
2. रिशालो पत्नि श्री ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी रायला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०
3. विक्रमसिंह, पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी रायला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०
4. सुरेन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी रायला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०
5. जरिये शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०
6. राजस्थान सरकार, जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०

प्रतिवादीगण

उपस्थितः– वादी अधिवक्ता श्री सुधीर

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

दावा बाबत, रिकार्ड दुरुस्ती, घोषणार्थ एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने घोषणार्थ दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रायला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज० की सरहद में कृषि भूमि साबिक खसरा नं. 100, रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, साबिक खसरानं. 131 रकबा 12 बीघा 7 विस्वा, जिसके नव निर्मित हाल खसरा नं. 235, रकबा 0.55 है०, खसरा नं. 244

रकबा 2.06 है०, खसरा नं. 245 रकबा 0.09 है०, खसरा नं. 246 रकबा 0.03 है०, खसरा नं. 247 रकबा 0.82 है0, साबिक खसरा नं. 99 रकबा 16 बीघा 6 विस्वा, साबिक खसरा नं. 132 रकबा 8 विस्वा, जिसके नव निर्मित हाल खसरा नं. 411/235, रकबा 0.49 है0, खसरा नं. 536/235, रकबा 0.21 है०, खसरा नं. 412/247 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 485/234, रकबा 2.89 है०, खसरा नं. 232 रकबा 0.05 है०, अवस्थित है। जिसे वाद–पत्र हाजा में आगे जायदाद जेरे बहस कहा गया है। वास्ते मुलाहिजा उक्त वर्णित हाल खसरा नम्बरान की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077, साबिक नक्शा सन् 1936–37, नक्शा सन् 1977–78, मिलान क्षेत्रफल, साबिक जमाबन्दी संवत् 2029 लगायत 2032, जमाबन्दी संवत् 2047 लगायत 2051, नामान्तकरण संख्या 35, रजि. विक्रय–पत्र दिनांक 17–11–1976, लफ दावा हैं।

यह कि वाद–पत्र की मद सख्यां 1 में वर्णित जायदाद जेरे बहस साबिक खसरा नं. 100, रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, साबिक खसरानं. 131 रकबा 12 बीघा 7 विस्वा, हाल खसरा नं. 235, रकबा 0.55 है०, खसरा नं. 244 रकबा 206 है०, खसरा नं. 245 रकबा 0.09 है०, खसरा नं. 246 रकबा 0.03 है०, खसरा नं. 247 रकबा 0.82 है०, जो की वादीगण की पैतृक खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि है। तथा साबिक खसरा नं. 99 रकबा 16 बीघा 6 विस्वा में से रकबा 1 बीघा 3 विस्वा (जिसके हाल खसरा नं. 536/235, रकबा 0.21 है०, खसरा नं. 412/247 रकबा 0.08 है0.) वादीगण के पूर्वज स्व० श्री नथुराम की जरिये रजि. विक्रय–पत्र दिनांक 17–11–1976 के द्वारा क्रयशुदा है उक्त कृषि भूमि पर वादीगण अपने पूर्वज स्व० श्री नथूराम के जीवन काल से ही कब्जे काबिज काश्तकार हैं तथा उक्त कृषि भूमि पर वादीगण नजरीये नक्शा जो कि वाद–पत्र का ही एक भाग हैं जिसे वाद–पत्र के साथ ही पढ़ा जावे में मार्क A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K से दर्शित स्थान पर वादीगण अपने परिवार एव पशुओ सहीत आवासीय मकान बना कर कदीमी निवास कर रहा है। तथा बरंग सुर्ख, लाल मार्क M-N-K-L- व मार्क O-E-F से दर्शित स्थान जो कि वादीगण के पूर्वज द्वारा क्रयशुदा है पर वादीगण भौतिक रूप से कब्जे काश्त है। तथा उक्त बरंग सुर्ख लाल मार्क M-N-K-L- व मार्क O-E-F साबिक खसरा नं. 99 का ही एक अभिन्न भाग है।

यह कि वाद–पत्र में वर्णित जायदाद जेरे बहस की जमाबन्दी 2029 लगायत नं. 2032 के खाता नं. 39 में वर्णित साबिक खसरा नं. 100 रकबा 1 बीधा 17 विस्वा व साबिक खसरा नं. 131 रकबा 12 बीघा 7 विस्वा का तत्कालिन खातेदार नथूराम, सीसराम वल्द मूरा कोम जाट सा. देह दर्ज भू–अभिलेख रही हैं तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि नजरी नक्शे में मार्क A-B-C-D-E-F-G-H-J-K से दर्शित स्थान पर वादीगण कदीमी काबिज कास्त है।

यह कि वाद–पत्र वर्णित जायदाद जेरे बहस की जमांबधी 2029 लगायत नं. 2032 के खाता नं. 44 में वर्णित साबिक खसरा नं. 99 रकबा 16 बीघा 6 विस्वा, व साबिक खसरा नं. 132 रकबा 8 विस्वा का तत्कालिन खातेदार नॉरग वल्द माईधन कोम जाट सा. देह ने अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि में से साबिक खसरा नं. 99, रकबा 16 बीघा, 6 विस्वा में से रकबा 1 बीघा 3 विस्वा हिस्सा वादीगण के पूर्वज स्व० श्री नथूराम, स्व० श्री सीसराम वल्द स्व० श्री भूरा कोम जाट सा. देह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनाकः 17–11–1976 को उप पंजियन महोदय चिडावा द्वारा पंजीबद्ध करवा कर उक्त साबिक खसरा नं. 99 पर अपने विक्रय किये गये हिस्से 1 बीघा 3 विस्वा का भौतिक कब्जा वादीगण के पूर्वज को देना दिनाकः 17–11–1976 को तस्दीक करवा दिया था उक्त अवधी से ही वादीगण उक्त कृषि भूमि नजरी नक्शे में बरंगा सुर्ख लाल मार्क लाल मार्क M-N-K-L व मार्क O-E-F-पर काबिज काश्त है तथा ताहाल कब्जा कायम है। तथा यहां यह उल्लेख करना उचीत होगा कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनाकः 17–11–1976 का तत्समय भू–प्रबन्ध कार्य जेरकार होने के कारण वादीगण के पूर्वज स्व० श्री नथूराम व सीसराम के हक में राजस्व मू–अभिलेख में अमल नहीं हो सका।

यह कि वाद–पत्र में वर्णित रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनाकः 17–11–1976 का विधिवत नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए वादीगण के पूर्वज स्व० श्री नथूराम द्वारा विधिवत आवेदन करने पर नामान्तकरण संख्या 35/29–08–1990, मौजा रायला, हल्का पटवारी झेरली द्वारा दिनांक 17–08–1990 को विधिवत पुर किया गया जिसे भू–अभिलेख निरिक्षक हल्का पिलानी द्वारा दिनांक 29–08–90 को कि गई जांच में रिकार्ड का अंकन सही पाया गया उक्त नामान्तकरण संख्या 35 मौजा रायला की पुस्त के पीछे भाग पर

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व वाद संख्या:–68/2020
हीरासिंह वगै0 बनाम पारस कुमार वगै0
निर्णय दिनांक:– 25.04.2025

तत्कालिन हल्का पटवारी द्वारा तितमा सजरा में दर्ज कर कय की गई भूमि की मौका स्थिती खसरा नं. 411/235/2, दर्शाया गया था जो उक्त नामान्तकरण का ही एक भाग है उक्त खसरा नं. 411/235/2 रकबा 0.21 है0 की मौका स्थिती वाद–पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में मार्क M-N-K-L से दर्शाया गया है।

यह कि हाल भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किये गये मौजा रायला के राजस्व भू–अभिलेख (मिलान क्षेत्रफल) में हाल खसरा नं. 235 रकबा 0.55है0, खसरा न. 244 रकबा 2.06 हैं०, खसरा नं. 245 रकबा 0.09 है०, खसरा नं. 246 रकबा 0.03 है०, खसरा नं. 247 रकबा 0.82 है०, का निर्माण वादीगण के पूर्वज स्व० श्री नथूराम की खातेदारी की कृषि भूमि साबिक खसरा 100 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा व साबिक खसरा नं 131 रकबा 12 बीघा 7 विस्वा से किया गया तथा खसरा न. 411ध्235 रकबा 0.70 है०, खसरा नं. 412/247 रकबा 0.08 है०, का निर्माण प्रतिवादीगण की कृषि भूमि साबिक खसरा 99 से ही किया गया दर्शाया हैं तथा उक्त नव खसरा नं. 411/235/1, रकबा 0. 49 है०, के दक्षिणी भाग खसरा नं. 411/235/2, रकबा 0.21 है०, का नामान्तकरण संख्या 35 में वादीगण के पूर्वज स्व० श्री नथूराम के हक में दर्ज व स्वीकृत हुआ जिसकी पुस्त पर पिछे दर्शाये गये तितमा सजरा में मौके की स्थिती स्पष्ट दर्ज है उक्त नामान्तकरण में अंकित तितमा सजरा की स्थिती से विपरीत गलत तरिके से हल्का पटवारी के नक्शा अक्स लठे में खसरा नं. 411/235/2, (नव खसरा न. 536/235 रकबा 0.21 है०.) की स्थिती वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 235 रकबा 0.55 है०, के पूर्वी भाग में गलत तरिक लाल स्याही से तरमीम कर नये खसरा नं. 536/235 रकबा 0.21 है0, दर्शाया गया हैं तथा खसरा नं. 235 का रकबा भी 0.55 है०, यथावत रखा गया है। वादीगण उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 536/235 रकबा 0.21 है०, का राजस्व भू–अभिलेख हाल सर्वे नक्शे में वादीगण के मौका कब्जे काश्त व उक्त नामान्तकरण संख्या 35 मौजा रायला की पुस्त के पीछे भाग पर अंकित तितमा सजरा में खसरा नं. 411/235, दर्शाया गया के अनुसार करवाना चाहता है जिस कारण वादीगण को यह वाद–पत्र न्यायलय श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

यह कि वादीगण ने अपने पूर्वजो द्वारा जरिये रजि. विकय–पत्र दिनांक 17–11–1976 को प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 की तत्समय खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नं. 99 में से 1 बीघा 3 विस्वा भूमि अपनी खातेदारी की तत्समय के साबिक खसरा नं. 100 की उत्तरी सीमा रेखा के संस्पर्शी भूमि कय की थी उक्त भूमि के मौका कब्जे व मेढ–बदी आदी के आधार पर हाल भू–प्रबन्ध द्वारा तैयार कि गई सर्वे शीट में उक्त भूमि के नये खसरा नं. 411/235, रकबा 0.70 है०, व 412/247, रकबा 0.08 है०, बनाये गये थे खसरा नं. 411/235 की नकशा आकृती में मात्र 021 है०, भूमि बनती है परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 की कृषि भूमि खसरा नं. 485/234 का रकबा पूर्ण करने की गलत नीयत से व गलत तरीक से भू–अभिलेख में रकबा 0.70 है०, दर्शाया दिया गया जो नये खसरा नं. 411/235 में 0.49 है०, अधिक रकबा भू–अभिलेख में अधिक दर्ज कर दिया गया को हजफ कर प्रतिवादीगण के खसरा नं. 485/234 के रकबे में रकबा 0.49 है०, शुमार होना लाजमी है तथा दुरुस्ति योग्य है जिस कारण वादीगण को यह वाद–पत्र न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

यह कि वादीगण व्यापार पेशा व्यक्ति हैं जिसके चलते वादीगण ने कभी आवश्यकता न होने के कारण उक्त जायदाद जेरे बहस के राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की तथा वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि का सुधार कर आधुनिक ढंग से काश्त करने हेतु अपनी कृषि की तारबन्धी करने के लिए सीमा ज्ञान बाबात आवेदन करने हेतु हल्का पटवारी से उक्त जायदाद जेरे बहस के राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करनी चाही तब दिनांक:– 13–07–2020 को वादीगण को इस बात की जानकारी हुई कि उक्त जायदाद जेरे बहस के राजस्व रिकॉर्ड (हल्का पटवारी के नक्शा अक्स लठे में खसरा नं. 411/235/2 (नव खसरा न. 536/235 रकबा 0.21 है०.) की स्थिती वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 235 रकबा 0.55 है0, के पूर्वी भाग में गलत तरिक से लाल स्याही से तरमीम कर नये खसरा नं. 536/235 रकबा 0.21 है०, दर्शाया गया है) जो कि काबिले दुरूस्ती होने के कारण उक्त कृषि भूमि के वर्तमान भू–अभिलेख सर्वे नक्शे को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवम् न्यायोचित है जिस कारण वादीगण को यह वाद–पत्र न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह कि उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड के गलत होने का इल्म वादीगण को होने पर वादीगण ने दिनांक– 14–07–2020 को प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत नं. 4 से सम्पर्क कर जायदाद जेरे बहस के राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाने हेतु अनुरोध किया जिस पर प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत नं. 4 ने उक्त राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाने हेतु साफ तौर पर इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत नं. 4 ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वे उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में जायदाद जेरे बहस को किसी दिगर शख्स के हक में विक्रय कर जायदाद जेरे बहस को खुर्द–बुर्द करेंगे तथा जायदाद जेरे बहस पर से वादीगण को बेदखल कर वादीगण को उसके हक व हिस्से से महरूम करेंगे जो कि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक हासिल नहीं है तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत नं. 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित है।

यह कि वादीगण ने अपने वाद–पत्र व–पत्र में रिकार्ड दुरुस्त की सिद्धी चाही है इसलिए राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार होने के कारण जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ को प्रतिवादी नं. 7 के रूप में फरीक दावा बनाया गया है तथा जिस हेतु अं0धा0 80 सी0पी0सी0 नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है किन्तु दावा हाजा अरजेन्ट नेचर का है तथा उक्त प्रक्रिया में अधिक समय लगने का पूर्ण अन्देशा है जिस से वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए दावा हाजा की मन्शा ही खत्म हो जाती है जिस हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष अलग से गुजारा गया है जो लफ दावा है।

यह कि कृषि भूमि साबिक खसरा नं. 99 जिससे बने हाल खसरा न. 412/247, रकबा 0.08 है0, व हाल खसरा न. 536/235 रकबा 0.21 है0, स्थित मौजा रायला, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू–राज0, में वादीगण को उसकी उक्त भूमि, जिसे दावा हाजा के साथ संलग्न नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख लाल मार्क लाल मार्क M-N-K-L व मार्क O-E-F से दर्शित किया गया है। जिस पर वादीगण अपने पूर्वजो द्वारा कयशुदा दिनांक 17–11–1976 से भौतिक रूप से काबिज कास्त रहे है। जिसे राजस्व कर्मचारीगण द्वारा वर्तमान नक्शा अक्स लठे में खसरा नं. 411/235/2 (नव खसरा न. 536/235 रकबा 0.21 है0.) की स्थिती वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 235 रकबा 0.55 है0, के पूर्वी भाग में गलत तरिक से लाल स्याही से तरमीम कर नये खसरा नं. 536/235 रकबा 0. 21 है0, गलत तरीक से दर्शाया गया है। उक्त गलत तरीक से दर्शाये गये मार्क K-J-S-R- को हाल खसरा न. 235 से हजफ कर नामान्तकरण संख्या 35 मौजा रायला की पुस्त के पीछे भाग पर अंकित तितमा सजरा में वादीगण के खसरा नं. 235 की उत्तरी सीमा रेखा के संस्पर्शी उत्तर में खसरा नं. 411/235, दर्शाया है की जगह नक्शे अक्स लठे में खसरा नं. 536/235, रकबा 0.21 है0, दर्ज किया जावे तथा खसरा नं. 411/235/1 रकबा 0.49 है0, जो गलत तरीके से नव खसरा नं. 411/235 के रूप में बना कर वादीगण के खसरा नं. 235 के उत्तर में संस्पर्शी रूप में नक्शा शीट की आकृति में दर्शाया गया है को हजफ कर प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 के खसरा नं 485/234 के आकृति व रकबे में शुमार (मर्ज) किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व भू–अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

वाद प्रस्तुत होने पर वाद दिनांक 24.07.2020 को दर्ज किया गया एवं दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 04.09.2020 नियत की गयी। दिनांक 09.10.2020 को प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 की और से श्री राजकुमार एड0 ने वकालतनामा पेष किया गया एवं जवाब दावा पेश किया । पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 16.10.2020 को नियत की गयी। दिनांक 16.10.2020 को वकील वादी द्वारा साक्ष्य पेश किये गए एवं दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किये गए। आज दिनांक 25.04.2025 को वकील वादी द्वारा बहस की गयी। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी। बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन पश्चात वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अंतिम डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि साबिक खसरा नं. 99 जिससे बने हाल खसरा न. 412/247, रकबा 0.08 है0, व हाल खसरा न. 536/235 रकबा 0.21 है0, स्थित मौजा रायला, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू–राज0, में वादीगण को उसकी उक्त भूमि, जिसे दावा हाजा के साथ संलग्न नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख लाल मार्क लाल मार्क M-N-K-L व मार्क O-E-F से दर्शित किया

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:–68/2020
हीरासिंह वगै0 बनाम पारस कुमार वगै0
निर्णय दिनांक:– 25.04.2025

गया है। जिस पर वादीगण अपने पूर्वजो द्वारा कयशुदा दिनांक 17–11–1976 से भौतिक रूप से काबिज कास्त रहे है। जिसे राजस्व कर्मचारीगण द्वारा वर्तमान नक्शा अक्स लठे में खसरा नं. 411/235/2 (नव खसरा न. 536/235 रकबा 0.21 है०.) की स्थिती वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 235 रकबा 0.55 है०, के पूर्वी भाग में गलत तरिके से लाल स्याही से तरमीम कर नये खसरा नं. 536/235 रकबा 0.21 है०, गलत तरीके से दर्शाया गया है। उक्त गलत तरीके से दर्शाये गये मार्क K-J-S-R- को हाल खसरा न. 235 से हजफ कर नामान्तकरण संख्या 35 मौजा रायला की पुस्त के पीछे भाग पर अंकित तितमा सजरा में वादीगण के खसरा नं. 235 की उत्तरी सीमा रेखा के संस्पर्शी उत्तर में खसरा नं. 411/235, दर्शाया है की जगह नक्शे अक्स लठे में खसरा नं. 536/235, रकबा 0.21 है०. दर्ज किया जावे तथा खसरा नं. 411/235/1 रकबा 0.49 है०, जो गलत तरीके से नव खसरा नं. 411/235 के रूप में बना कर वादीगण के खसरा नं. 235 के उत्तर में संस्पर्शी रूप में नक्शा शीट की आकृति में दर्शाया गया है को हजफ कर प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 के खसरा नं 485/234 के आकृति व रकबे में शुमार (मर्ज) किये जानें की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी ।। आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:–68 / 2020
हीरासिंह वगै0 बनाम पारस कुमार वगै0
निर्णय दिनांक:– 25.04.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)

मु0नं0 68 / 2020
निर्णय दिनांक:– 25.04.2025

हीरासिंह वगै0 बनाम पारस कुमार वगै0
दावा बाबत, रिकार्ड दुरुस्ती, घोषणार्थ एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 25.04.2025 को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

अतः वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि साबिक खसरा नं. 99 जिससे बने हाल खसरा न. 412/247, रकबा 0.08 है0, व हाल खसरा न. 536/235 रकबा 0.21 है0, स्थित मौजा रायला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज0, में वादीगण को उसकी उक्त भूमि, जिसे दावा हाजा के साथ संलग्न नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख लाल मार्क लाल मार्क M-N-K-L व मार्क O-E-F से दर्शित किया गया है। जिस पर वादीगण अपने पूर्वजो द्वारा कयशुदा दिनांक 17–11–1976 से भौतिक रूप से काबिज कास्त रहे है। जिसे राजस्व कर्मचारीगण द्वारा वर्तमान नक्शा अक्स लठे में खसरा नं. 411/235/2 (नव खसरा न. 536/235 रकबा 0.21 है0.) की स्थिती वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 235 रकबा 0.55 है0, के पूर्वी भाग में गलत तरिके से लाल स्याही से तरमीम कर नये खसरा नं. 536/235 रकबा 0. 21 है0, गलत तरीके से दर्शाया गया है। उक्त गलत तरीके से दर्शाये गये मार्क K-J-S-R- को हाल खसरा न. 235 से हजफ कर नामान्तकरण संख्या 35 मौजा रायला की पुस्त के पीछे भाग पर अंकित तितमा सजरा में वादीगण के खसरा नं. 235 की उत्तरी सीमा रेखा के संस्पर्शी उत्तर में खसरा नं. 411/235, दर्शाया है की जगह नक्शे अक्स लठे में खसरा नं. 536/235, रकबा 0.21 है0. दर्ज किया जावे तथा खसरा नं. 411/235/1 रकबा 0.49 है0, जो गलत तरीके से नव खसरा नं. 411/235 के रूप में बना कर वादीगण के खसरा नं. 235 के उत्तर में संस्पर्शी रूप में नक्शा शीट की आकृति में दर्शाया गया है को हजफ कर प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 के खसरा नं 485/234 के आकृति व रकबे में शुमार (मर्ज) किये जानें की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़